"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 10, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/स. क./26 (पार्ट-2). — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2017 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. नियम 3 (ङ) "सहायक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है, के पश्चात् "अथवा परिवार के किसी मृत व्यक्ति के अस्थि विसर्जन हेतु जाने वाले आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है" अन्त:स्थापित किया जाये,

2. नियम 4 (2) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, के पश्चात् "अथवा परिवार के किसी मृत सदस्य के अस्थि विसर्जन हेतु जाने वाला आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का न हो" अन्त:स्थापित किया जाये,

3. नियम 4 (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-

(8) स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के संसद सदस्य अथवा स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.